न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल म0प्र0, (रीवा सर्किट कोर्ट रीवा) ग्वालियर म०प्र०

बीस रुपये 20रु. Rs.20 TWENTY RUPEES दो रुपये

II/निगरानी/सिंगरौली/भू०रा/2018/1856

1— कमला प्रसाद तनय भगवत अहीर

2— अंजनी प्रसाद तनय भगवत अहीर

3— जगदीश प्रसाद तनय भगवत अहीर

4— घूरे उर्फ घुरहू तनय स्व0 रमई अहीर

5— प्रजाराम पिता घूरे उर्फ घुरहू अहीर

6— धिरजाराम पिता घूरे उर्फ घुरहू अहीर

7— गिरजा प्रसाद तनय घूरे उर्फ घुरहू अहीर

8— लालता प्रसाद पिता स्व0 प्रदुमन अहीर

9— गुलाब प्रसाद पिता स्व0 प्रदुमन अहीर

10— चन्द्रिका प्रसाद तनय स्व0 प्रदमुन अहीर

सभी निवासी जोगियानी, तहसील माड़ा जिला सिंगरौली म0प्र0

प्रजाराम क्र. 5 द्वारा 20.3.18 प्रस्तुत ... दिनांक 4.4.18

क्लर्क ऑफ कोर्ट 20.3.18 राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

—————आवेदकगण

बनाम्

1— रामबली सिंह तनय स्व0 मोहन सिंह गोंड़

2— बिरझू सिंह तनय स्व0 नन्हकू सिंह गोंड़

3— राम सिंह पिता स्व0 नन्हकू सिंह गोड़

4— बृजमोहन सिंह तनय स्व0 नन्हकू सिंह गोड़

5— रणबीर सिंह तनय स्व0 नन्हकू सिंह गोड़

6— विश्वनाथ सिंह तनय स्व0 नन्हकू सिंह गोड़

सभी निवासी जोगियानी, तहसील माड़ा जिला सिंगरौली म0प्र0

———अनावेदकगण

निगरानी विरूद्ध आदेश व निर्णय श्रीमान् कलेक्टर जिला सिंगरौली के प्र0क0

प्रजाराम

20/अपील/17–18 में पारित आदेश
दिनांक 05/03/2018
अंर्तगत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता
1959ई0

मान्यवर,

प्रकरण के तथ्य निम्नानुसार है:–

यह कि भूमि खसरा कमांक 146 रकवा 7.20ए. स्थित ग्राम जोगियानी तह0 सिंगरौली जिला सिगरौली के मालिक भूमिस्वामी वर्ष 1953–54 में अनावेदकगण के पिता मोहन सिंह व नन्हकू सिंह थे जिन्होने वर्ष 1953 मे आवेदकगण के बाबा रमई यादव को मुबलिग 60/–रू. मे विकय कर कब्जा दखल आवेदकगण के बाबा को सौप दिया था, तदउपरांत आवेदकगण के बाबा ने वादित भूमि में मकान कॅूप, बॉध, पेड पौधे लगाकर आबाद हुए जो बिकी पत्र दिनांक 15. 12.1957 को रिचकऊ बैसवार के द्वारा तहरीर कराया गया जिसमें गवाह रामप्रसाद गोड एवं विकेता मोहन सिंह एवं नन्हकू सिंह के हस्ताक्षर किये गये है जिसका नामांतरण केता व विकेता के द्वारा अशिक्षा के कारण तत्काल नही कराया गया और न ही राजस्व अधिकारियो द्वारा ही किया गया जबकि बिकी पत्र एवं कब्जे की जानकारी पटवारी को होने के कारण ही वर्ष 1953–54 में मुताबिक बिकी पत्र के आधार पर ही उजरत पत्र दरख्वास्त दिया था नोट खसरे में प्रविष्ट है।

उक्त बिकी पत्र के आधार पर दिनांक 09.12.1964 को नामांतरण रजिस्टर मे नामांतरण दर्ज करने की तिथि अंकित कर पटवारी ने दिनांक 09.01.1965 को वापस नायब तहसीलदार सिंगरौली की और आदेश हेतु प्रेषित किया जिसमे नायब तहसीलदार ने नामांतरण आदेश पारित किया। उक्त नामांतरण के उपरांत जब तक आवेदकगण के पिता जीवित थे तब तक कोई आपत्ति अथवा अपील अथवा अन्य कोई कार्यवाही उक्त नामांतरण

प्र03/2/18

XXXIX(a)-BR(H)-11

(373)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

क्रमांक II / निग0भू–रा0 / 2018 / 1856 जिला–सिंगरौली

कमला प्रसाद अंहिर / रामवती सिंह

(1)	(2)	(3)
24.04.19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री अंजनी कुमार सोनी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी कलेक्टर , जिला सिंगरौली प्रकरण क्रमांक 20 / अपील / 2017–18 में पारित आदेश दिनांक 05.03.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त रीवा संभाग रीवा को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 25.07.19 को आयुक्त रीवा संभाग रीवा के समक्ष उपस्थित हो। (बी.एम.शर्मा), सदस्य	